


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स बनाम रिहाना बानो

प्रकरण संख्या :- 722/2022 ( धारा 14 सिव्योरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
06.12.2022	<p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता/प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से प्रस्तुत सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	4889-50 12-12-22